इस सम्बन्ध में यह भी देखना चाहिए

अंकेक्षण के उद्देश्य
(Objects of Auditing)

अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य लेखाकर्म में शुद्धता एवं कार्यकुशलता को विकसित करना है जिससे संस्था द्वारा किये गये खाते एवं विवरण संस्था की सही स्थिति का स्पष्टीकरण कर सकें तथा प्रबन्धक एवं अंशधारी व्यवसाय प्रशासन को समुचित ढंग से व्यवस्थित कर सकें। प्रारम्भिक लेखा पुस्तकों की जाँच तथा विवरणों के सत्यापन लेखाकर्म की शुद्धता, पूर्णता, नियमानुकूलता तथा लेखाकार की कुशलता का स्पष्टीकरण होता है। दूसरे शब्दों अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह देखना होता है कि संस्था के खाते एवं विवरण विधानतः तैयार किये गये हैं या नहीं अंकेक्षण के उद्देश्य के सम्बन्ध में स्पाइसर एवं पैगलर का कथन इस प्रकार है, **''अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य नियोक्ता या उसके कर्मचारियों द्वारा तैयार किये गये खातों एवं विवरणों का सत्यापन करना है। हालांकि, कपटों एवं त्रुटियों को ढूँढ़ना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है किन्तु इसे मुख्य उद्देश्य का सहायक माना जाना चाहिए।''**

सुविधा के दृष्टिकोण से अंकेक्षण के उद्देश्यों को निम्नांकित वर्गों में बाँटा गया है :

I. मुख्य उद्देश्य (Primary Objects)

(1) लेखा पुस्तकों की जाँच (Examination of Accounting Books),
(2) वार्षिक विवरणों का सत्यापन (Verification of Final Statements)।

II. सहायक उद्देश्य (Subsidiary Objects)

(1) अशुद्धियों की खोज (Detection of Errors),
(2) अशुद्धियों की रोक (Prevention of Errors),
(3) छल-कपट की खोज (Detection of Fraud),
(4) छल-कपट की रोक (Prevention of Fraud),
(5) प्रबन्धकों को सलाह देना (Advice to the Managers),
(6) कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव (Moral effect on the Employees),
(7) अधिनियम के आदेश की पूर्ति (Fulfilment of the order of Act),
(8) सरकारी अधिकारियों को संतुष्ट करना (To satisfy the Govt. Authorities)।
(9) स्वस्थ वातावरण का सृजन (Creation of Healthy Environment)

III. सामाजिक उद्देश्य (Social Objects)

(1) विनियोजकों की सुरक्षा (Protection to Investors),
(2) कर की चोरी से सुरक्षा (Protection against Evasion),
(3) पूँजी के क्षरण से सुरक्षा (Protection from Capital Erosion),
(4) विनियोजकों के साथ न्याय (Justice to Investors)।
(5) श्रमिकों के लिए समुचित मजदूरी की माप (Measurement of fair wages for Labourer
(6) उपभोक्ताओं के लिए समुचित मूल्य (Reasonable Prices for the consumers)
(7) सामाजिक लागत एवं लाभ का मूल्यांकन (Evaluation of Social cost and Benefit)

IV. विशिष्ट उद्देश्य (Specific Objectives)

अब हम अंकेक्षण के अलग-अलग उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करेंगे :

I. मुख्य उद्देश्य
(Primary Objects)

व्यावसायिक परिवर्तनों के साथ-साथ अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्यों में भी परिवर्तन होता जा रहा है। छोटे पैमाने पर किये जाते थे, व्यापारिक क्रियाएँ जटिल नहीं थीं, लेन-देनों (Transactions) की मात्रा कम प्रायः नकद हुआ करते थे तो अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य मात्र नकद लेन-देनों की सत्यता का ही परीक्ष समय में परिवर्तन के साथ लेखा पुस्तकों की संख्या बढ़ी, उधार क्रय-विक्रय का क्षेत्र व्यापक हुआ तथ

Scanned with CamScann

स्वभाव परिवर्तित हुए। वर्तमान में अंकेक्षण का उद्देश्य अशुद्धियों एवं कपटों का पता लगाना तथा सामाजिक हितों की रक्षा करना भी हो गया है।

उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य लेखा-पुस्तकों की जाँच कर यह पता लगाना है कि जो सूचनाएँ उसे प्रदान की गयी हैं वे शुद्ध एवं सत्य हैं, साथ ही संस्था के लाभ-हानि विवरण तथा आर्थिक चिट्ठा में दिखायी गयी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति सत्य एवं वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत कर रही है। अंकेक्षण के प्रमुख उद्देश्यों को दो वर्गों में बाँटा गया है जो निम्नांकित हैं :

1. **लेखा पुस्तकों की जाँच** (Examination of Accounting Books)—अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य संस्था की लेखा-पुस्तकों की जाँच करना है। यहाँ जाँच का तात्पर्य लेखों का प्रमाणकों (Vouchers) से मिलान करना है जिनके आधार पर लेखे किये गये हैं। प्रत्येक लेखे के लिए प्रमाणक का होना आवश्यक होता है। सामान्यतया प्रमाणक लिखित प्रपत्र होते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक लेखे के लिए प्रमाणक का होना आवश्यक है, उसी प्रकार प्रत्येक प्रमाणक के लिए लेखे का भी होना आवश्यक होता है। अंकेक्षक यह भी देखता है कि प्रमाणक सत्य हैं या नहीं। इस प्रकार लेखा-पुस्तकों की जाँच करना अंकेक्षण प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य है जिससे उसकी सत्यता की जानकारी हो सके।

2. **वार्षिक विवरणों का सत्यापन** (Verification of Final Statements)—वार्षिक विवरणों का अर्थ संस्था के लाभ-हानि विवरण एवं आर्थिक चिट्ठा से है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षक यह पता लगाता है कि लाभ-हानि विवरण द्वारा प्रदर्शित लाभ व हानि वास्तविक है या नहीं। साथ ही आर्थिक चिट्ठा व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत कर रहा है या नहीं। लाभ का कम दिखाया जाना, सम्पत्ति या दायित्वों का अधिमूल्यन व अवमूल्यन, काल्पनिक खातों का निर्माण व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को वास्तविकता से दूर कर देते हैं। अत: अंकेक्षक को यह स्पष्ट करना होता है कि संस्था के विवरण पत्र संस्था की सही स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं या नहीं तथा ये अधिनियम में दिये गये प्रारूप के अनुसार तैयार किये गये हैं या नहीं।

एक अंकेक्षक को अपने को सन्तुष्ट करने के लिए कि संस्था की लेखा-पुस्तकें संस्था की सही स्थिति को प्रदर्शित करती हैं या नहीं, निम्नांकित की जाँच करनी चाहिए :

(i) उसे आन्तरिक निरीक्षण की प्रणाली की जाँच करनी चाहिए।

(ii) उसे लेखा-पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जाँच करनी चाहिए।

(iii) उसे लेन-देनों की प्रमाणिकता एवं वैधता की जाँच मूल प्रमाणों से करनी चाहिए।

(iv) उसे यह देखना चाहिए कि पूँजीगत मदों एवं आयगत मदों के बीच सही-सही अन्तर स्पष्ट किया गया है या नहीं।

(v) उसे यह भी देखना चाहिए कि आर्थिक चिट्ठा में प्रस्तुत सम्पत्तियाँ सही मूल्य पर मूल्यांकित की गई है या नहीं, साथ ही व्यवसाय की सम्पत्तियाँ व्यवसाय में विद्यमान हैं या नहीं।

(vi) अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि संस्था के लाभ-हानि विवरण एवं आर्थिक चिट्ठा वैधानिकत: तैयार किये गये हैं या नहीं।

Scanned with CamScann

II. सहायक उद्देश्य
(Subsidiary Objects)

अंकेक्षण के प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये गये कार्यों को सहायक उद्देश्य कहते हैं। अंकेक्षण के सहायक उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. **अशुद्धियों की खोज** (Detection of Errors)—लेखा-पुस्तकों की सत्यता जानने के लिए लेखा-पुस्तकों में हुई अशुद्धियों का ढूँढ़ना आवश्यक है। हालांकि गलतियों का ढूँढ़ना अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य नहीं है किन्तु पर्याप्त सतर्कता बरतना अंकेक्षक का कर्तव्य होता है। अंकेक्षण का कार्य करते समय उसे शंकालु दिमाग से काम नहीं करना चाहिए लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह पूरी सावधानी बरते ही नहीं। विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों की जाँच उसे बुद्धिमत्ता के साथ करनी चाहिए।

2. **अशुद्धियों की रोक** (Prevention of Errors)—एक अंकेक्षक का कार्य खाता-पुस्तकों की अशुद्धियों को ढूँढ़कर संस्था के स्वामी को बता देना होता है। भविष्य में इन अशुद्धियों की पुनरावृत्ति (Repetation) नहीं होगी, इसकी गारण्टी देना अंकेक्षक का काम नहीं है। भविष्य में गलतियाँ नहीं हों, इसके लिए संस्था के प्रबन्धक व स्वामी को ही कारगर कदम उठाने होंगे। हाँ, इस सम्बन्ध में अंकेक्षक के बहुमूल्य सुझाव अवश्य लिये जा सकते हैं। अंकेक्षक के सुझाव को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करना प्रबन्धकों व स्वामी का काम होता है। हाँ, इस सम्बन्ध में आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था अशुद्धियों की रोक का सर्वोत्तम तरीका है। खातों के नियमित अंकेक्षण से भी अशुद्धियों पर रोक

Scanned with CamScann

लगाती है। अंकेक्षण से कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव पड़ता है जिससे वे गलती करने की हिम्मत नहीं करते हैं। क्योंकि इस बात को भली-भाँति जानते हैं कि यदि वे गलती करते हैं तो अंकेक्षक उन्हें ढूँढ़ ही निकालेगा और नए परिस्थिति में उनकी पीछे भी जा सकती है और दण्डित भी। अंकेक्षक का कार्य अशुद्धियों के सम्बन्ध में निवारक (प्रतिरोधक) दवा होता है जो उनके जीव के रूप में प्राप्त होते हैं।

3. **छल-कपट की खोज** (Detection of Fraud)—ऐसी अशुद्धियाँ जो संस्था के कर्मचारियों द्वारा जान-बूझकर योजनाबद्ध तरीके से किसी को क्षति देने या नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से लेखों में की जाती हैं, छल-कपट कहलाती हैं। ऐसी अशुद्धियाँ स्वाभाविक ढंग से नहीं होती हैं बल्कि इन अशुद्धियों को किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा जान-बूझकर पूर्व निर्धारित ढंग से किया जाता है जिससे संस्था अथवा किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान हो, किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुँचे। इन गलतियों (कपटों) से संस्था के विवरण पत्र संस्था की सही स्थिति को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। इन कपटों का पता लगाना अत्यन्त ही कठिन होता है क्योंकि ये योजनाबद्ध तरीके से किये जाते हैं। इन्हें ढूँढ़ने के लिए अंकेक्षक को काफी सतर्कता बरतनी पड़ती है। यदि इन कपटों को अंकेक्षक ढूँढ़ लेता है तो यह उसकी शानदार सफलता होती है। इस सम्बन्ध में **डिकसी** का कथन है, ''**कपट का पता लगाना अंकेक्षक का प्रमुख भाग है। जो अंकेक्षक कपटों का पता लगा लेता है, वह ऐसे अंकेक्षक से अधिक अच्छा जो कपटों का पता नहीं लगा पाता।**''

4. **छल-कपट की रोक** (Prevention of Fraud)—छल-कपट का रोकना अंकेक्षक का काम नहीं और (बल्कि) अंकेक्षण का उद्देश्य अवश्य है। हाँ, अंकेक्षक इस उद्देश्य की पूर्ति में कारगर अवश्य सिद्ध हो सकता है। सही अर्थ में छल-कपट रोकने का कार्य संस्था के प्रबन्धक व मालिक करते हैं। अंकेक्षक केवल उन तथ्यों को प्रकट कर सकता है जिनसे छल-कपट को बल मिलता है। अधिक से अधिक अंकेक्षक एक सलाहकार का काम कर सकता है। छल-कपट को नियन्त्रित करने के लिए आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावपूर्ण होती है। आन्तरिक नियन्त्रण व्यापक दुरुस्त होने पर छल-कपट करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। अंकेक्षण से कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव पड़ता है जिससे छल-कपट की मात्रा कम होती है।

5. **प्रबन्धकों को सलाह देना** (Advice to the Managers)—लेखा-पुस्तकों के परीक्षण के दौरान अंकेक्षक के समक्ष अनेक प्रकार की कमियाँ व त्रुटियाँ आती हैं। अतः अंकेक्षक का यह कर्तव्य हो जाता है कि उन कमियों व त्रुटियों के सम्बन्ध में संस्था के प्रबन्धकों को अपनी सलाह दे। हालाँकि, सलाह देना अंकेक्षक का वैधानिक कर्तव्य नहीं है, फिर भी व्यावहारिक तौर पर यह परम्परा बनी हुई है कि अंकेक्षक कमियों के सम्बन्ध में प्रबन्धकों का ध्यान आकर्षित करता है और उचित सलाह देता है।

6. **कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालना** (Moral Effect on the Employees)—अंकेक्षण के कारण कर्मचारियों के मन में भय उत्पन्न होता है कि उनकी गलतियाँ अंकेक्षक के द्वारा पकड़ी जायेंगी और जिसका परिणाम उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इससे कर्मचारियों में नैतिकता का उत्थान होता है और वे समय पर तथा ईमानदारी से अपने कार्य का सम्पादन करना प्रारम्भ कर देते हैं। इसका प्रभाव गलतियों का कम होना होता है और यदि होती है तो पकड़ी जाती है।

7. **अधिनियम के आदेश की पूर्ति** (Fulfilment of the Order of Act)—अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षक को यह देखना होता है कि संस्था के खाते-पुस्तक व विवरण वैधानिक तौर-तरीके के आधार पर बनाये गये हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, कम्पनी की लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण वैधानिकतः अनिवार्य होता है तथा अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जाना भी अनिवार्य होता है। अंकेक्षक को यह भी देखना होता है कि संस्था के लाभ-हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा विधान के प्रावधानों के आधार पर बनाये गये हैं या नहीं, साथ ही वे संस्था की सही स्थिति को स्पष्ट करते हैं या नहीं।

8. **सरकारी अधिकारियों को संतुष्ट करना** (To Satisfy the Government Authorities)—वैधानिकतः एकाकी व्यापार तथा साझेदारी संस्थाओं का अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है, फिर भी ये संस्थाएँ अपनी खाता-पुस्तकों का अंकेक्षण करवाती हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि आयकर व बिक्री कर अधिकारी संस्था की खाता-पुस्तकों व प्रदत्त सूचना में विश्वास करें और आयकर व बिक्री कर की गणना में कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करें।

9. **स्वस्थ वातावरण का सृजन** (Creation of Healthy Environment)—अंकेक्षण का उद्देश्य संस्था में स्वस्थ वातावरण का सृजन करना भी होता है। जब कर्मचारियों को इस बात की जानकारी हो कि उनके द्वारा किये गये कार्यों की जाँच अंकेक्षक द्वारा की जायेगी तो वे अपने कार्यों के प्रति सतर्क हो जाते हैं जिससे अशुद्धियाँ एवं कपट की भी सम्भावना कम हो जाती है जो कि स्वस्थ वातावरण का परिचायक है। अतः अंकेक्षण के कार्य से संस्था में स्वस्थ वातावरण का सृजन होता है।

Scanned with CamScanner